आज दिनांक 04/09/2012 को

बही सं 1 जिल्द सं 4577

पृष्ठ सं 223 से 242 पर कमांक 13281

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

कृष्ण कुमार यादव

उप निबन्धक सरधना

4/9/2012

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AB 951740

B-2081

विक्रय पत्र

लेखपत्र का संक्षिप्त विवरण

उपनिबन्धक कार्यालयः सरधना (मेरठ)।

1. भूमि का प्रकार (कृषि / आवासीय / वाणिज्यिक / औद्योगिक / अन्य): विकित भूमि डवलपर कम्पनी द्वारा की जा रही है जिस पर इकरारनामा के समय, अन्य प्रयोजनार्थ निर्धारित दर पर स्टाम्प अदा किया गया था तथा अब नई सर्किल रेट की सूची के अनुसार नवीनतम निर्धारित दर पर स्टाम्प अदा किया गया है।
2. सर्किल रेट सूची क्रमांक 2–2–चतुर्थ खण्ड

Navneet Goel

5000/- पाँच हजार
मैसर्स एस टू अंड (बिल्डर्स) एण्ड डवलपर्स रजि आफिस के
[illegible] द्वारा श्री नवनीत गोपल पुत्र राजेन्द्र गोयल
को
159 शास्त्री कालोनी [illegible]
शिव नगर मोदी पुरम मेरठ

3/9/11 अनुपालक

सुशील पाठक
दस्तावेज लेखक
सरधना (मेरठ)

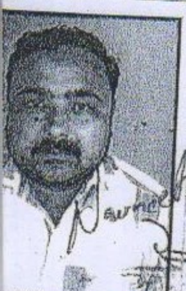

सुशील पाठक
दस्तावेज लेखक
सरधना (मेरठ)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

29 AUG 2012

AB 951755

SARDHANA (MEERUT)

3. सर्किल रेट सूची के अनुसार निर्धारित सर्किल रेट 90,00,000/– रूपये प्रति हैक्टेयर
4. प्रतिफल की धनराशि अंकन 13,96,667/–रूपये
5. सर्किल रेट अनुसार कीमत अंकन 16,76,000/– रूपये
6. विक्रित भूमि स्थित ग्राम सिवाया जमाउल्लापुर परगना दौराला तहसील सरधना जिला मेरठ
7. सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं0) कृषि भूमि खसरा नम्बर 1377, 1380, 1382, 1383
8. मापन की इकाई (हैक्टेयर/वर्ग मीटर): हैक्टेयर
9. विक्रित भूमि का क्षेत्रफल 0.1862,2/9 हैक्टेयर
10. नगरीय/अर्द्धनगरीय/ग्रामीण क्षेत्र: अर्द्धनगरीय क्षेत्र
11. पेड़ों का मूल्यांकन: लागू नहीं
12. बोरिंग/कुआ/अन्य: लागू नहीं
13. राष्ट्रीय, जनपदीय अथवा लिंक मार्ग लागू नहीं
14. सहकारी आवास समिति के राजस्व से सम्बन्धित है: नहीं

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AB 951617

15. उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या सं0वि0क0नि0–5–2756/11–2008–500(165)/2007 लखनऊ दिनांक 30 जून, 2008 के अनुसार विकास शुल्क सहित 7 प्रतिशत की दर से देय स्टाम्प अंकन 1,17,320/– रूपये जिसमें से अंकन 97,833/– रूपये का स्टाम्प इकरारनामा दिनांक 16.05.2012 के साथ संलग्न कर अदा किया जा चुका है अतः इस विक्रय पत्र के साथ संलग्न स्टाम्प अंकन 19,700/–रूपये।

16. इकरारनामा कार्यालय उप निबन्धक सरधना पर बही संख्या 1 जिल्द 4359 के पृष्ठ 323/366 में कम संख्या 7378 पर दिनांक 16.05.2012 ई0 दर्ज रजिस्टर है।

17. उपरोक्त इकरारनामा कुल 0.5586,2/3 हैक्टैयर भूमि का किया गया था परन्तु इसमें से विक्रेता प्रथम पक्ष के भाग की कुल 2/9 भाग की भूमि का विक्रय पत्र निष्पादित कराया जा रहा है तदनुसार ही स्टाम्प मूल्य का समायोजन किया गया है। शेष विक्रेतागण का बैनामा जब लिखा जायेगा उनके भाग का स्टाम्प तभी समायोजित किया जायेगा।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Y 633264

विवरण विकित भूमि:

भूमिधरी भूमि खाता संख्या 00277 के खसरा नम्बर 1377 (एक हजार तीन सौ सततर) रकबा 0.2560 हैक्टैयर (शून्य दशमलव दो पांच छः शून्य हैक्टेयर) व खसरा नम्बर 1380, (एक हजार तीन सौ अस्सी) रकबा 0.0510 हैक्टेयर (शून्य दशमलव शून्य पांच एक शून्य हैक्टैयर) व खसरा नम्बर 1382, (एक हजार तीन सौ बयासी) रकबा 0.4930 हैक्टेयर (शून्य दशमलव चार नो तीन शून्य हैक्टेयर) व 1383, रकबा 0.0380 हैक्टेयर (शून्य दशमलव शून्य तीन आठ शून्य हैक्टेयर) कुल चार नम्बर कुल रकबा 0.8380 हैक्टेयर (शून्य दशमलव आठ तीन आठ शून्य हैक्टेयर) में अपने समस्त 2/9 भाग की भूमि 0.1862,2/9 हैक्टैयर (शून्य दशमलव एक आठ छः दो सही दो बटा नौ हैक्टेयर) लगान 8,75 रूपये सालाना स्थित ग्राम सिवाया जमाउल्लापुर परगना दौराला तहसील सरधना जिला मेरठ।

Navneet Goel

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Y 633270

इस इकरारनामा पर स्टाम्प अधिनियम की धारा 27 (1) का सत्यता पूर्वक पालन किया गया है।
विक्रेता प्रथम पक्ष दृष्टिविहीन/विकलांग व्यक्ति नहीं है।
विक्रित सम्पत्ति विक्रेता/प्रथम पक्ष की पैतृक सम्पत्ति हैं।
पक्षकार भारत देश के मूल नागरिक हैं।
निम्न भूमि के 200 वर्ग मीटर की त्रिज्या में आवासीय गतिविधि संचालित है।
विक्रेता प्रथम पक्ष के परिवार के पास विक्रय की गयी भूमि सहित समस्त उत्तर प्रदेश में 18 एकड़ से अधिक भूमि नहीं हे।
केता द्वितीय पक्ष के परिवार के पास क्रय की गयी भूमि सहित समस्त उत्तर प्रदेश में 12,1/2 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है।
विक्रित भूमि पट्टा ग्राम समाज, सीलिंग, भूदान, गर्वनमेन्ट ग्रान्ट एक्ट के अधीन दिये गये पटटे की भूमि नहीं है।

हम कि रामबीर पुत्र मामचन्द निवासी ग्राम सिवाया जमाउल्लापुर परगना दौराला तहसील सरधना जिला मेरठ ..विक्रेता/प्रथम पक्ष

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Y 633271

SEP 2012

SARDHANA (MEERUT)

एवं

मैसर्स ए–टू–जैड बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स, रजिस्टर्ड आफिस के–6, पल्लवपुरम फेज़ द्वितीय, तहसील सरधना, जिला मेरठ, द्वारा डायरेक्टर्स/पार्टनर्स श्री नवनीत गोयल पुत्र श्री राजेन्द्र गोयल निवासी 153–शिवनगर मोदीपुरम, तहसील सरधना जिला मेरठ व श्री विनोद कुमार पुत्र श्री बलबीर सिंह निवासी 159 शास्त्री कालोनी, निकट आर्यनगर कंकरखेड़ा, मेरठ तहसील व जिला मेरठ .. क्रेता/द्वितीय पक्ष

इस लेख द्वारा प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त वर्णित भूमि प्रथम पक्ष के स्वामित्व की है, और प्रथम पक्ष को बहैसियत होने पूर्ण स्वामी भूमिधरी उक्त को विक्रय करने के पूर्णतः अधिकार प्राप्त हैं कि जो आज की तारीख तक हर प्रकार के ऋण भार, दोष वैधानिक व हस्तान्तरण आदि से मुक्त व रहित है। मूल्य इस समय अति उचित मिल रहा है। विक्रय करने में हर प्रकार से लाभ है। अतः शान्ति पूर्वक विचार करके स्वस्थ मस्तिष्क व निर्मल इन्द्रियों की दशा में समस्त व सम्पूर्ण भूमिधरी विक्रित उक्त के मय समस्त अधिकार स्वामित्व अधिपत्य आदि

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

1 SEP 2012 Y 633272

SARDHANA (MEERUT)

सहित बिना छोड़े हुए कोई हक व हिस्सा चाहे उसका जिक्र इस दस्तावेज में किया गया हो अथवा न किया गया हो बदले अंकन 13,96,667/– तेरह लाख छियानवे हजार छः सौ सड़सठ रूपये कि आधे जिसके अंकन 6,98,333.50 रूपये होते हैं, विक्रय मूल्य के उपलक्ष्य में हस्ते मैसर्स ए–टू–जैड बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स, रजिस्टर्ड आफिस के–6, पल्लवपुरम फेज द्वितीय, तहसील सरधना, जिला मेरठ, द्वारा डायरेक्टर्स/पार्टनर्स श्री नवनीत गोयल पुत्र श्री राजेन्द्र गोयल निवासी 153–शिवनगर मोदीपुरम, तहसील सरधना जिला मेरठ व श्री विनोद कुमार पुत्र श्री बलबीर सिंह निवासी 159 शास्त्री कालोनी, निकट आर्यनगर कंकरखेड़ा, मेरठ तहसील व जिला मेरठ को विक्रय कर दी और समस्त विक्रय मूल्य प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से अंकन 8,00,000/–रूपये द्वारा इकरारनामा उक्त व अंकन 3,96,425/– रूपये चैक नम्बर 926886 दिनांकित 3.09.2012 पंजाब नेशनल बैंक शाखा मोदीपुरम मेरठ द्वारा व अंकन 2,00,242/–रूपये चैक नम्बर 926887 दिनांकित 13.02.2013 पंजाब नेशनल बैंक शाखा मोदीपुरम मेरठ द्वारा प्राप्त करके विक्रित भूमिधरी उक्त को अपने अधिकार व अधिपत्य स्वामित्व आदि से निकालकर द्वितीय पक्ष के स्वामित्व तथा

Navneet Goel

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 568789

अधिपत्य आदि में देकर और भूमिधरी विक्रित उक्त का मौके पर खाली का कब्जा द्वितीय पक्ष को देकर, द्वितीय पक्ष को अपनी भांति पूर्ण रूप से मालिक व स्वामी बना दिया। अब प्रथम पक्ष व प्रथम पक्ष के वारिसान का कोई सम्बन्ध किसी किस्म का भूमिधरी विकित से शेष नहीं रह गया है और ना ही भविष्य में होगा। वास्तविक परिवर्तन क्रियान्वित हुआ और यह विकय सही एवं वैधानिक एवं क्रियान्वित करने योग्य है तथा द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह भूमिधरी विक्रित उक्त को अपनी इच्छानुसार प्रयोग में लायें, जिस में प्रथम पक्ष व अन्य किसी को कोई आपत्ति करने का अधिकार न होगा, तथा द्वितीय पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह अपना नाम सरकारी रिकार्ड माल कागजात में बहैसियत मालिक दर्ज करा लें। नाम दर्ज कराने में जहां कहीं भी प्रथम पक्ष के हस्ताक्षरों व रजामन्दी की आवश्यकता होगी तो उस में प्रथम पक्ष को कुछ उज्र व एतराज न होगा तथा आज से पूर्व के जो भी ड्यूज आदि होंगे, उनको अदा करने की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी। यदि मुझ प्रथम पक्ष के उत्तराधिकारी या सम्बन्धी या सहभागी के वादवश भूमिधरी विक्रित उक्त या उसका कोई अंश द्वितीय पक्ष के अधिकार स्वामित्व तथा अधिपत्य आदि से निकल जावे या उस

Navneet Goyal

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

SUB TREASURY OFFICE
03 AUG 2012
SARDHANA MEERUT

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BC 382181

पर कोई ऋण या भार पाया जावे तो ऐसी प्रत्येक दशा में द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह अपना समस्त विक्रय मूल्य अथवा उसका अंश जैसी दशा हो मय हर्जा खर्चा बैनामा मय ब्याज मय वाद व्यय सहित यदि कोई द्वितीय पक्ष को अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिये खर्च करना पड़े तो न्यायालय द्वारा मुझ प्रथम पक्ष से व प्रथम पक्ष के उत्तराधिकारी से तथा प्रथम पक्ष व प्रथम पक्ष के उत्तराधिकारी की चल व अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार भी उचित जाने वसूल करे, जिसमें प्रथम पक्ष व प्रथम पक्ष के उत्तराधिकारीगण को कोई आपत्ति न होगी। अतः यह विक्रय पत्र लिख दिया कि प्रमाणित तथा उपयोगी हो और उचित समय पर काम आवे।

दिनांक: 03.09.2012 (तीन सितम्बर सन दो हजार बारह ई0)
प्रालेख सुनील पाठक, दस्तावेज लेखक, सरधना (मेरठ)

सुनील पाठक
दस्तावेज लेखक
सरधना (मेरठ)

Navneet Goyal

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA 03 AUG 2012

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BC 382182

नजरी नक्शा (Not to be scaled)

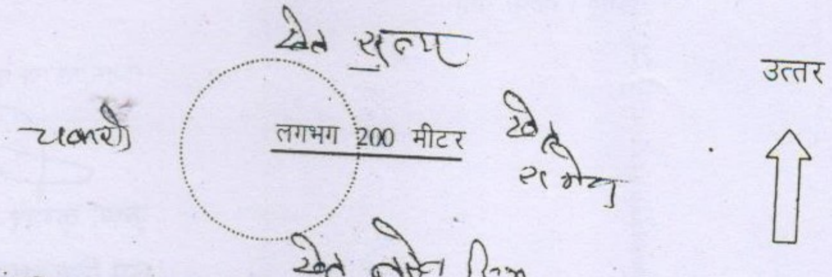

विक्रित भूमि की 200 मीटर की त्रिज्या में स्थित सम्पत्तियों का विवरण

1. राष्ट्रीय राजमार्ग / जनपदीय मार्ग / लिंक मार्ग / चकमार्ग—
2. बाग / नर्सरी —
3. आवासीय / वाणिज्यिक भूमि / भवन—
4. शैक्षिक संस्थान / धर्मार्थ संस्थान / स्वास्थ्य केन्द्र —
5. औद्योगिक संस्थान / कोल्ड स्टोरेज—
6. गैस गोदाम / पैट्रोल पम्प / नलकूप—
7. होटल / रेस्टोरेन्ट / मनोरंजन केन्द्र —
8. सरकारी / अर्द्धसरकारी / निगमित कार्यालय —
9. अन्य

घोषणा— किसी तथ्य को छिपाया नहीं गया है तथा गलत वर्णन अंकित नहीं किया गया है। उपरोक्त सूचना क्षेत्र की सामान्य जानकारी पर आधारित है।

हस्ताक्षर विक्रेता

Navneet Goyal

हस्ताक्षर क्रेता